

पत्र संख्या विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम/ नियमावली-194-(2009-10)/920/ 0910051/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: सितम्बर 16 ,2009

समस्त एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

शासकीय विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ ग्यारह-9-(1)/2004 उ0प्र0 धि0-12-2000-आदेश-
(17)-2004 दिनांक 5-7-2004 में यह प्राविधान है कि राज्य ऊर्जा नीति-2003 के अधीन उत्पादन (नवीन
क्षमता और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा
परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी, निवेश नीति अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक
31-3-2009 तक, एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक की हो, स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से
उस स्थानीय क्षेत्र में अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के प्रवेश पर अन्य व्यापारियों के कर के संदाय के
दायित्व के लिए दायी होने के लिए दिनांक 5-7-2004 से अनुमति होगी, यदि ऐसे माल का उपयोग या
उपभोग अन्ततः ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई के प्रयोजनों के लिए इस शर्त के अधीन रहते
हुये किया जाये कि ऐसी इकाई, ऐसे व्यापारियों को उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम-25
ख के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित परिपत्र 3ख में घोषणा जारी करें।

2- शासकीय विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1754/ ग्यारह-9-(1)/2004 उ0प्र0 धि0-30-07-आदेश-
(48)-2009 दिनांक 27-8-2009 द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1769/ ग्यारह-9-(1)/2004
उ0प्र0 धि0-12-2000-आदेश-(17)-2004 दिनांक 5-7-2004 को संशोधित करते हुये इसमें उल्लिखित
शब्द एवं अंश "उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम-25 ख के उपनियम (1) के अधीन
यथाविहित परिपत्र 3ख में घोषणा" के स्थान पर शब्द "कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा
निर्धारित प्रारूप में घोषणा" रख दिया गया है। इसके साथ ही अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी
जोड़ दिया गया है :-

स्पष्टीकरण :- कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में इकाई द्वारा
जारी घोषणा 01 जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने
के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये सम्बन्धित कार्यों के लिए भी लागू
होगी। "

3- अतः उपर्युक्त विज्ञप्ति दिनांक 27-8-2009 के प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र के
लिए फार्म जी निर्धारित किया जाता है जिसका प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। उक्त
फार्म जी के रख रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) यह घोषणा पत्र फार्म-जी औद्योगिक इकाई द्वारा ही ए-4 साइज में प्रिन्ट करवाया
जायेगा जो तीन प्रतियों अर्थात् मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं प्रतिपण के रूप में होगा। मूल
प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा
अपने पास सुरक्षित रखने के लिए एवं प्रतिपण क्रेता व्यापारी के लिए होगा।

(2) फार्म जी की समस्त प्रविष्टियां ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई द्वारा भरी जायेंगी।
इस फार्म-जी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित
कर नियमावली-2008 के नियम -32 (6) में है अथवा जो टैक्स इन्वॉयस को अभिप्रमाणित करने
के लिए अधिकृत है।

(3) विक्रेता व्यापारी द्वारा फार्म की मूल प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा
दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) यह घोषणा पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में क्रमांक- 001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांकित रहेगा।

(5) इस फार्म जी पर अधिकतम एक कलेंडर माह के सम्व्यवहार अंकित किये जायेगे।

4- यह फार्म-जी एक जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होने वाली और अधिसूचना की तिथि दिनांक 27-8-2009 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये सम्व्यवहारों के लिए भी लागू होगा।

5- अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि फार्म जी के प्रारूप तथा इसके रख रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ साथ अपने जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संघों आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें और इसकी प्रतियां समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध कराये जो इन वस्तुओं का उपयोग करती हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

ह0/-

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0।
- 4- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 5- अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर, लखनऊ।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य पालक/वि0 नु0शा0/अपील) कारपोरेट सर्किल/ ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- ज्वाइंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
- 9- ज्वाइंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
- 10- विधि अनुभाग / मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 10, 5, 5 तथा 10 प्रतियां।
- 11- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह0/-

(वाई0 एस0 सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

फार्म – जी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत जारी
विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-1754/ग्यारह-9(1)/2004-30-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश
(98)-2009दिनांक 27-08-2009 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना
औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विक्रेता को दिया जाने वाला घोषणा-पत्र

(द्वितीय प्रति-विक्रेता व्यापारी के लिए)
क्रम संख्या

1—	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

खरीद का विवरण

5-	विक्रेता का नाम व पता																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

नोट:- उक्त प्रारूप में स्थान कम होने पर इस घोषणा-पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी प्रास्थिति एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विक्रेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान हस्ताक्षर
तिथि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम
मुहर

- नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया :-
- 1- इस फार्म-जी पर अधिकतम एक कलेंडर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेंगे।
 - 2- यह घोषणा-पत्र प्रत्येक वर्ष क्रमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांकित रहेगा।
 - 3- यह घोषणा-पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपण्) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपण् केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
 - 4- विक्रेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।
 - 5- केता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म ए-4 सार्ज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।
 - 6- इस फार्म-जी पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

